


राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्		
डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल-5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर-302017		
दूरभाष - 0141-2715517	Email- pmsshriraj.23@gmail.com	
क्रमांक / सरकूलशिप / जय / PM SHRI / 2023-24 /	दिनांक :	

पीएमश्री विद्यालयों के (प्रथम व द्वितीय चरण) सुदृढीकरण हेतु अन्य विद्यालयों के साथ साझेदारी (Twinning of Schools) के दिशा-निर्देश सत्र 2024-25

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएमश्री विद्यालयों की योजना की शुरुआत की गई है। ये विद्यालय Centre of Excellence के रूप में स्थापित किये जाने हैं। इन विद्यालयों में सम्पूर्ण शैक्षिक, सहशैक्षिक आधारभूत संरचनाओं का विकास करते हुए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाना है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण के 402 व द्वितीय चरण के 237 पीएमश्री विद्यालयों की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में पीएमश्री विद्यालयों के सुदृढीकरण हेतु अन्य विद्यालयों के साथ साझेदारी (Twinning of Schools) की गतिविधि अनुमोदित की गई है।

विद्यालयों के साथ साझेदारी (Twinning of Schools) के उद्देश्य :

1. पीएमश्री विद्यालयों को अन्य प्रतिष्ठित विद्यालयों के साथ जोड़ा जाना।
2. पीएमश्री विद्यालयों का सुदृढीकरण करना।
3. पीएमश्री विद्यालयों में शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी संचालन करना।
4. अन्य प्रतिष्ठित विद्यालयों की गतिविधियों का अवलोकन करना एवं उन्हें पीएमश्री में लागू करना।
5. पीएमश्री विद्यालयों के स्तर में सुधार करना।
6. पीएमश्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने का मौका मिलना।
7. विद्यालयों द्वारा अपने अनुभवों को आपस में साझा करना।
8. पीएमश्री विद्यालयों में शैक्षिक नवाचारों को लागू करना।

पीएमश्री विद्यालयों की अन्य विद्यालयों के साथ साझेदारी (Twinning of Schools) प्राथमिकता से निम्नानुसार की जानी है :-

1. जिले/निकटतम जिले का सैनिक स्कूल/आर्मी स्कूल।

RajKaj Ref
9118683



Signature Not Verified

Digitally signed by Avinhal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.23 00:51:58 IST
Reason: Approved



2. जिले/निकटतम जिले का नवोदय विद्यालय।
3. जिले के केन्द्रीय विद्यालय।
4. जिले के सीबीएसई/अन्य बोर्ड के प्रतिष्ठित विद्यालय।

पीएमश्री विद्यालयों की अन्य विद्यालयों के साथ साझेदारी (Twinning of Schools) के दौरान निम्न गतिविधियों को देखा जाना है :-

1. संबंधित विद्यालय के मैन गेट व अन्य स्थानों पर लिखे गए नाम, कोटेशन व अन्य सौंदर्यकरण की सामग्री।
2. संबंधित विद्यालय की आधारभूत संरचना व उसका रख-रखाव।
3. संबंधित विद्यालय की सौंदर्यकरण की सामग्री।
4. प्रधानाचार्य कक्ष, स्टॉफ रूम कक्ष व अन्य कक्षा-कक्षों का व्यवस्थित स्वरूप।
5. संबंधित विद्यालय का रिकॉर्ड संधारण का स्वरूप।
6. संबंधित विद्यालय की आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, अटल टिकरिंग लैब, रोबोटिक्स लैब।
7. संबंधित विद्यालय की व्यावसायिक शिक्षा लैब, विज्ञान संकाय की समस्त लैब।
8. विद्यालय का पुस्तकालय, पुस्तक का आदान-प्रदान का तरीका, पुस्तकालय में पुस्तकों का रख-रखाव व अन्य संबंधित रिकॉर्ड्स।
9. इंडोर व आउटडोर खेल मैदान का स्वरूप, खेल सामग्री व खेल की समय-सारणी।
10. हाथ धोने का स्थान व शौचालय की साफ-सफाई।
11. विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी।
12. विद्यालय अभिभावकों के साथ की जानी बैठकों की जानकारी, रिकॉर्ड व अभिभावकों के सुझावों पर की गई कार्यवाही।
13. विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर, समय-समय पर किये जाने वाले विद्यालय स्तर के असेसमेंट की जानकारी।
14. संबंधित विद्यालय की ग्रीन स्कूल के तहत आयोजित की जाने वाली गतिविधियां।
15. संबंधित विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप/बैठक।

पीएमश्री विद्यालयों की अन्य विद्यालयों के साथ साझेदारी (Twinning of Schools) के वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है :-

RajKaj Ref
9118683

Signature Not Verified

Digitally signed by Avighal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.23 00:51:58 IST
Reason: Approved



(सारणी-ए)

क्र.सं.	गतिविधि	वित्तीय प्रावधान (राशि रू. में)	विशेष विवरण
1	वाहन किराया	10,000	दूरी के अनुसार
2	अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था	5,000	
3	प्राथमिक उपचार सामग्री	500	
4	रिकॉर्ड संधारण व अन्य आवश्यक सामग्री	500	
5	फोटोग्राफी व विडियोग्राफी	1000	
6	अन्य विविध व्यय-आवश्यकतानुसार	3000	
कुल व्यय		20,000	

नोट :- अन्य विद्यालयों के साथ साझेदारी के क्रम में आवश्यकतानुसार एक से अधिक यात्राएं की जा सकती हैं, जिसके लिए प्रावधित राशि 20,000 रू. है। इस राशि का उपयोग सारणी-ए के अनुसार किया जाना है। सारणी-ए की गतिविधियों में राशि को स्थानीय आवश्यकतानुसार कम-ज्यादा किया जा सकता है।

पीएमश्री विद्यालयों की अन्य विद्यालयों के साथ साझेदारी (Twinning of Schools) के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु :-

1. अन्य विद्यालयों के साथ साझेदारी के लिए पीएमश्री विद्यालय से न्यूनतम 20 व्यक्ति भाग लेंगे, जिसमें संस्था प्रधान, उप प्रधानाचार्य, शिक्षक, कम्प्यूटर अनुदेशक, शारीरिक शिक्षक, लैब असिस्टेंट, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं विद्यार्थी शामिल होंगे।
2. साझेदारी के दौरान विद्यार्थी के रूप में बालिकाओं को शामिल करने पर विद्यालय की महिला शिक्षिका को अवश्य साथ ले जाये।
3. अन्य विद्यालयों के साथ साझेदारी की अवलोकन रिपोर्ट तैयार करें तथा विद्यालय स्तर पर संधारित करें।
4. अन्य विद्यालयों के साथ की गई साझेदारी के दौरान अवलोकित की गई नवाचारी गतिविधियों को विद्यालय स्तर पर कार्य योजना बनाकर लागू किया जावे।
5. उक्त गतिविधि का आयोजन माह-अगस्त/सितम्बर, 2024 में किया जावे।

RajKaj Ref
9118683

Signature Not Verified

Digitally signed by Avidhal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.23 00:51:58 IST
Reason: Approved



लेखा संबंधी बिन्दु :-

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
3. इस राशि का उपयोग उपरोक्त गतिविधि एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
4. क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

नोट :- 639 पीएमश्री विद्यालयों के लिए अनुमोदित गतिविधि एवं बजट प्रावधान निम्नानुसार है :-

Major Component	Activity Name	Activity Master	Physical Quantity	Unit Cost	Financial Amount (Rs. in Cr.)
Curriculum Pedagogy and Assessment	Project Innovation	PMSHRI Twinning of Schools (R)	402	0.2	80.40
			237	0.2	47.40

जिलेवार बजट प्रावधान परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(अविचल चतुर्वेदी)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/पीएम श्री/2022-23/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परि. निदेशक-प्रथम/द्वितीय रास्कूलशिप, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक को देकर लेख है कि उक्त गतिविधि की प्रभावी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें।
12. संस्था प्रधान, समस्त पीएमश्री विद्यालयों को देकर लेख है कि उक्तानुसार गतिविधि की प्रभावी कार्य योजना बनाते हुए कार्य पूर्ण करें।
13. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
9118683

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.23 00:51:58 IST
Reason: Approved

PMSHRI TWINNING OF SCHOOLS 2024-25

परिशिष्ट-ब

क्र. सं.	जिला	प्रथम चरण में चयनित विद्यालय	द्वितीय चरण में चयनित विद्यालय	कुल विद्यालय	वित्तीय प्रावधान प्रति विद्यालय	कुल राशि (लाखों में)
1	Ajmer	14	10	24	20000	480000
2	Alwar	18	12	30	20000	600000
3	Banswara	11	7	18	20000	360000
4	Baran	10	6	16	20000	320000
5	Barmer	21	8	29	20000	580000
6	Bharatpur	15	7	22	20000	440000
7	Bhilwara	15	10	25	20000	500000
8	Bikaner	10	7	17	20000	340000
9	Bundi	5	7	12	20000	240000
10	Chittorgarh	13	4	17	20000	340000
11	Churu	7	9	16	20000	320000
12	Dausa	11	6	17	20000	340000
13	Dholpur	8	6	14	20000	280000
14	Dungarpur	10	4	14	20000	280000
15	Hanumangarh	9	7	16	20000	320000
16	Jaipur	28	7	35	20000	700000
17	Jaisalmer	7	3	10	20000	200000
18	Jalore	10	8	18	20000	360000
19	Jhalawar	10	4	14	20000	280000
20	Jhunjhunun	12	9	21	20000	420000
21	Jodhpur	24	5	29	20000	580000
22	Karauli	9	5	14	20000	280000
23	Kota	9	5	14	20000	280000
24	Nagaur	18	12	30	20000	600000
25	Pali	11	12	23	20000	460000
26	Pratapgarh	9	5	14	20000	280000
27	Rajsamand	8	8	16	20000	320000
28	Sawai Modhpur	7	3	10	20000	200000
29	Sikar	14	14	28	20000	560000
30	Sirohi	6	4	10	20000	200000
31	Shri Ganganagar	13	7	20	20000	400000
32	Tonk	8	8	16	20000	320000
33	Udaipur	22	8	30	20000	600000
	Total	402	237	639		12780000